न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर ,जालोर

पीठासीन अधिकारी

छगनलाल गोयल,
आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण सं. 45/06

प्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार सायला

बनाम

अप्रार्थीगण:-
1.छगनलाल पुत्र लच्छीराम,
कौम खण्डेलवाल,
साकिन देताकला,
हॉल–मोकलसर,तहसील सिवाना,
जिला बाडमेर।
2.भावला पुत्र पुनमा,कौम मेघवंशी,
साकिन देताकला,
3.गोकला पुत्र पुनमा,कौम मेघवंशी.
साकिन देताकला

प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:–
1.श्री छोटूसिंह, विद्वान सरकारी अभिभाषक ,प्रार्थी की ओर से।
2.श्री चुन्नीलाल पुरोहित,विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी 1की ओर से।
3.अप्रार्थी सं.2,3 अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 28.3.201

1. प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार सायला की ओर से प्रस्तुत यह रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर को दिनांक 31.3.200 को रेफरेन्स किया गया था जो माननीय राजस्व मण्डल से निर्णय दिनांक .6.2017 द्वारा इस निर्देश के साथ प्राप्त हुआ कि मामलें की पुनःजांच कर, दिनांक 15.8.1947 से सबंधित राजस्व अभिलेख को अभिलेख पर लेकर, यदि प्रकरण बाद जांच रेफरेन्स योग्य पाया जावे तो पुनः राजस्व मण्डल में रेफरेन्स प्रेषित किया जावे। इस पर रेफरेन्स दिनांक 11.10.17 को पुनःदर्ज किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी सं.1 को दिनांक 25.7.65 को ग्राम देताकला ,तहसील सायला, जिला जालोर के खसरा नम्बर 126 रकबा 3830 बीघा 1 बिस्वा , किस्म गैर मुमकिन नदी में से 15 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था ,उक्त भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 569,570 रकबा 2.42 हेक्टर किस्म चाही सोयम बने है। आवंटित भूमि की किस्म मूलतः गैरमुमकिन नदी है जो आवंटन योग्य नही है। हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल रिट जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय के अनुसार इस प्रकार के आवंटन

/नियमन जो गैर मुमकिन नदी में किये गये है ,निरस्त किये जाने है । अप्रार्थी को आवंटन की गई भूमि की किस्म मूलतः गैर मुमकिन नदी है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत् प्रतिबंधित भूमि है। इस प्रकार अप्रार्थी सं.1 को किया गया आवंटन नियम विरूद्ध है। अतः अप्रार्थी को दिनांक 25.7.65 को ग्राम देताकला के गत खसरा नम्बर किस्म गैरमुमकिन नदी में से 15 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 569,570 रकबा 2.42 हेक्टर, का किया गया आवंटन एवं इसके आधार पर राजस्व रैकार्ड में किये गये सभी इन्द्राजात् का निरस्त करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर को रेफरेन्स किया जावे।

2. अप्रार्थी सं.1 की ओर से पूर्व में दिनांक 10.3.2018 को जवाब पेश किया गया था कि किसी कारणवश मुझे पैसो की आवश्यकता होने से पूनमा [illegible] जाति मेघवाल, निवासी देताकला ,तहसील सायला, जिला जालोर को [illegible] कर दी,यह जमीन न मेरे कब्जे में है और न ही मैं इस पर काबिज हूं। [illegible] जमीन के सबंध में कोई पैरवी करवाना नही चाहता हूं।

इसके बाद इसी अप्रार्थी सं. 1 ने दुबारा दिनांक 12.3.2018 को जवाब पेश किया कि मुझे राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटित हुई थी तथा मैंने उसको काजाउ बनाया था ,इस भूमि पर मैं लम्बे समय से काबिज हूं। दिनांक 10.3.20[illegible] को मैंने जवाब पेश किया था जिसको मैं संशोधन करवाना चाहता हूं। मैंने पूर्व में जो जवाब पेश किया था उसको निरस्त किया जावे तथा इस जवाब को स्वीकार किया जावे।

3. यह रेफरेन्स प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने पर पुनः दिनांक 1[illegible].10.17 को दर्ज होने के बाद अप्रार्थी सं.1 व 2 को तारीख पेशी 15.11.2017 का नोटिस तामील होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 अनुपस्थित रहने से उन्होंने दिनांक 15.11.17 से 16.4.2018 तक कोई जवाब पेश नही किया गया हैं।

4. तहसीलदार सायला से इस न्यायालय के पत्र कमांक/कोर्ट/2018/124 दिनांक 24.1.2018 के जरिये तहसीलदार सायला से मौजा देताकला के खसरा नम्बर126 किस्म गैर मुमकिन नदी (हॉल खसरा नम्बर 569,570) से संबंधित भूमि का वर्ष 1947 अर्थात् संवत् 2004 की स्थिति दर्शाने वाला राजस्व अभिलेख दिनांक23.2.2018 से पूर्व चाहा गया था। इसके पश्चात् पत्र कमांक/कोर्ट/2018/538 दिनांक 6.6.2018से पुनःस्मरण करवाया जाकर उक्त रैकार्ड दिनांक 19.6.2018 तक चाहा गया था,जिस पर तहसीलदार सायला से [illegible] पत्र कमांक/भू.अ./4476 दिनांक 18.7.2018 से संवत् 2009-2028 की प्रथम मिसल बन्दोबस्त की नकल, देताकला के खसरा नम्बर 126के मिलान क्षेत्रफल [illegible] नकल संवत् 2051-70 व जमाबंदी संवत् 2017-30 इस न्यायालय प्राप्त हुई [illegible] संवत 2009 से पूर्व का रैकार्ड उपलब्ध नहीं होना बताया। पुनः इस न्यायालय के

पत्र कमांक /कोर्ट/ 2019/25 दिनांक 16.1.2019 से तहसीलदार सायला को इस हेतु लिखा गया जिस पर तहसीलदार सायला ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2018/218 दिनांक 29.1.2019 से पुनः बताया कि संवत् 2009 से पूर्व का रेकार्ड केवल खालसा गांवो का ही उपलब्ध है, जागीरी गांवो का रेकर्ड उपलब्ध नहीं है।

5. अतः उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई,प्रार्थी की ओर से विद्वान सरकारी अभिभापक ने बहस में बताया कि अप्रार्थी को आवंटन की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत् प्रतिवंधित भूमि है उक्त भूमि आवंटन/नियमन योग्य नही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 1536/2003,अब्दुल रहमान बनाम राज. सरकार व अन्य, निर्णय दिनांक 2.8.2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15.8.1947 की स्थिति को रैकार्ड अनुसार वहाल किया जाना है। अतः रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे व अप्रार्थी को किये गये आवंटन आदेश व उसके आधार पर आज तक भरे गये नामान्तरकरण को निरस्त करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेन्स किया जावे। इसके विपरीत अप्रार्थी सं.1के विद्वान अभिभापक ने वहस में बताया कि अप्रार्थी सं.1 को मौजा देताक [illegible] गत खसरा नम्बर 126 रकबा 3830बीघा 1 विस्वा किस्म गैर मुमकिन नदी [illegible] 15 बीघा का आवंटन किया गया था, अप्रार्थी सं.1ने भूमि को उपजाउ बनाया है, आवंटन से आज तक अप्रार्थी सं.1का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है।अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स खारीज फरमावे।

6. अप्रार्थी को गैर मुमकिन नदी में किया गया आवंटन नियमों के विपरीत होने से आवंटन आदेश व इसके आधार पर तहसीलदार सायला द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण सं.121दिनांक 23.10.71(गैरखातेदारी का नामान्तरकरण), 243दिनांक 30.3.76 (खातेदारी का नामान्तरकरण)व 304/10.12.82(अप्रार्थी सं.2 व 3 के नाम नामान्तरकरण) निरस्त करने हेतु रेफरेन्स करना आवश्यक है। जहां तक दिनांक 15.8.1947 अर्थात् संवत् 2004 की स्थिति दर्शाने वाले अभिलेख का प्रश्न है तो संवत् 2009 से पूर्व का कोई रैकार्ड जागीरी गावों का उपलब्ध नही होना तहसीलदार सायला ने पत्र कमांक/भू.अ./4476 दिनांक 18.7.2018 व क्रमांक/भू.अ./18 दिनांक 29.1.2019 से बताया है जिससे 2009 से पूर्व का रैकार्ड मंगवाना संभव नही हैं। तहसीलदार सायला से जो रैकार्ड (संवत् 2009--13 सातौंगी वन्दोवस्त) का प्राप्त हुआ हैं उसके अनुसार संवत् 2009 में खसरा नम्बर 150 रकबा 315 बीघा,156रकवा 2286 बीघा 13 विस्वा,162रकवा 1054 वीघा 18 विस्वा किस्म गैर मुमकिन नदी के संवत् 2017 में भूमि एकीकरण के समय खसरा नम्बर 126 किस्म गैर मुमकिन बने है तथा खसरा नम्बर 126 के हाल खसर नम्बर 569,570

रकबा 2.42 हेक्टर बने है। इस प्रकार संवत् 2009 में भी उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी अंकित होने से भी रेफरेन्स करना आवश्यक है।

7. अतः प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर को रेफरेन्स कर निवेदन हैं कि ग्राम देताकला, तहसील सायला, जिला जालोर के संवत 2009 के खसरा नम्बर 140,156,162 किस्म गैर मुमकिन नदी,जिसके भूमि एकत्रीकरण संवत् 2017 में बने खसरा नम्बर 126रकबा 3830बीघा 1 बिस्वा, किस्म गैर मुमकिन नदी में से दिनांक 25.7.65को अप्रार्थी सं.1को 15 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था जिसके वर्तमान खसरानम्बर 569,570 रकवा 2.42 हेक्टर बने है।अतः आवंटन आदेश व उसकी पालना में आज तक भरे गये नामान्तरकरण सं.121 [illegible] (गैर खातेदार का ना.क.), 243/ 30.3.76(खातेदार का ना.क.)व 304 [illegible].12.82 (खरीददार के नाम ना.क.)आदि निरस्त कर उक्त भूमि पूर्वानुसार गैर मुमकिन नदी दर्ज करने के आदेश प्रदान करावे। पक्षकारान् पैरवी हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में तारीख पेशी **28.6.2019** को उपस्थित रहे।

S.d. 28/3/19
(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

आदेश,आज दिनांक 28.3.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया

S.d. 28/3/19
(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2020.01.01 16:38:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: